न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :–राकेश कुमार न्योल आर.ए.एस.

मूकदमा नम्बर 05/24

कमला पुत्र गोतम जाति मीणा उम्र बालीग पेशा खेती निवासी रास्ता तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमान् लेण्ड होल्डर जरीए तहसीलदार सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

अप्रार्थी

उपस्थित :–

1 श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता अपीलांन्ट

:: निर्णय ::

दिनांक 08/05/2024

1. **कि प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि** प्रार्थी गॉव रास्ता का निवासी है, प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि गॉव रास्ता के जमाबन्दी खाता सख्या 250 के खसरा सख्या 5249/2757 का रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि है,जिसमें प्रार्थी का नाम कमलेश पुत्र गोतम एवं उसकी पत्नी हाकली पत्नी कमलेश दर्ज है जबकि प्रार्थी/वादी का सही एवं दस्तावेजी नाम कमला पुत्र गोतम है जबकि उक्त जमाबन्दी खाते में प्रार्थी का नाम कमलेश पुत्र गोतम दर्ज कर लिया है उक्त नाम प्रार्थी का घरेलु नाम है प्रार्थी की पत्नी हाकली पत्नी कमलेश उर्फ कमला का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थी/वादी कें गॉव रास्ता के जमाबन्दी खाता सख्या 58, एवं खाता सख्या 60 में प्रार्थी का नाम कमला पुत्र गोतम मीणा सहीं नाम दर्ज है, आधार कार्ड, पेनकार्ड, जनआधारकार्ड, बैक खाता डायरी पेश हे जिसमें प्रार्थी/वादी का सहीं नाम कमला पुत्र गोतम जोवत मीणा दर्ज है जो सहीं एवं सत्य है। प्रार्थी/वादी के बिन्दू सख्या 1 में वर्णित आराजी में घरेलु नाम कमलेश दर्ज होने के कारण, सरकारी काम काज, लोन/केसीसी आदि में समस्या पैदा होती है यह कि बिन्दू सख्या 1 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी/वादी का सही नाम दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। यह कि अभी 15 दिन पूर्व प्रार्थी द्वारा केसीसी हेतु नकले निकलवाने पर, बैक द्वारा बताए जाने से उक्त घरेलु नाम दर्ज होने की जानकारी हुई है ऐसे में मीयाद अवधी में वाद पेश हे। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार कर निम्न आश्य का आदेश एवं डीकी फरमावे। ––– यह कि गॉव रास्ता के खाता सख्या 250 कें खसरा सख्या 5249/2757 का कुल रकबा 0.1619 हैक्टेयर में वादी का दर्ज घरेलु नाम कमलेश पुत्र गोतम के स्थान पर सही नाम कमला पुत्र गोतम मीणा घोषित किया जावे। जो उक्त आराजी में दर्ज रिकार्ड करने के आदेश पारित की जावें। ––– यह कि अन्य न्यायोचित अनुतोष जो धारा 209 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत हो प्रदान किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया, विपक्षी को तलब किया गया, इस न्यायालय के पत्र कमांक 33 दिनांक 01/02/2024 को प्रकरण के सबध में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने आदेशित किया गया है जिस पर तहसीलदार तहसील सीमलवाडा के पत्र कमांक राजस्व/2024/768 दिनांक 20/03/2024 द्वारा रिपोर्ट पेश की है कि यह कि श्रीमान् के आदेशानुसार उक्त प्रकरण के संबध में इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2024/545 दिनांक 02/02/2024 द्वारा भू अभीलेख निरीक्षक माण्डली एवं पटवारी पटवार हल्का रास्ता को मौके पर उपस्थित

ण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

होकर जॉच रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त आदेश की पालना में पटवारी पटवार हल्का रास्ता द्वारा दिनांक 11/03/2024 को मौके पर उपस्थित होकर उक्त प्रार्थनापत्र की जॉच कर जॉच रिपोर्ट तैयार की गई। पटवारी पटवार हल्का रास्ता की जॉच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी कमलेश पुत्र गोतम उर्फ कमला पुत्र गोतम दर्ज है तथा खाता सख्या 250 में खसरा सख्या 5249/2757 का रकबा 0.1619 में कमला पिता गोतम का नाम कमलेश पिता गोतम तथा उनकी पत्नी हाकली पत्नी कमलेश की बाजाय हाकली पत्नी कमला दर्ज है दस्तावेज की जॉच अनुसार पाया गया कि कमलेश पिता गोतम का नाम कमला पिता गोतम दर्ज है मौके पर उपस्थित मोतबीरानो द्वारा प्राप्त जानकरी अनुसार प्रार्थी कमलेश उर्फ कमला नाम का व्यक्ति एक ही है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आधार कार्ड भामाशाह कार्ड बैंक डायरी जन आधार कार्ड मतदाता परिचयपत्र एवं पेन कार्ड में प्रार्थी का नाम कमला पिता गोतम दर्ज है मौके पर उपस्थित मौतबीरानो द्वारा बताया गया कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कमला पिता गोतम दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही होगी।

कि पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः गॉव रास्ता के जमाबन्दी खाता सख्या 250 के खसरा सख्या 5249/2757 का रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि है,जिसमें प्रार्थी का नाम कमलेश पुत्र गोतम एवं उसकी पत्नी हाकली पत्नी कमलेश दर्ज है ऐसे में उक्त जमाबन्दी खाते में जहाँ-जहाँ कमलेश दर्ज है के स्थान पर कमला दर्ज करने की आज्ञा दी जाती है तहसीलदार तहसील सीमलवाडा आदेश की पालना अवीलम्ब कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा
सीमलवाडा

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 08/05/2024.को खूले न्यायालय मे सूनाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा
सीमलवाडा